कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1831 /FP/UK/OTHERS/48097/2020 :देहरादूनः दिनांकः 06 जनवरी, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद देहरादून में जार्ज एवरेस्ट मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत नोटिफाईड प्राईवेट फॉरेस्ट मसूरी में पर्यटन विभाग की भूमि परपर्यट को की सुविधा व पर्यटन विकास के लिए 'जॉर्ज एवरेस्ट विरासत पार्क का विकास हेतु 0.8886 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु पर्यटन विकास विभाग को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/09/111/2020/एफ.सी./1319 दिनांक 22.09.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक 2791/12–1 दिनांक 01.01.2021 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी सूचना निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क0 सं0	भा0स0 द्वारा अधिरोपित शर्तें	प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा अनुपालन
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही भूमि सौंपी जाएगी।	उक्त शर्त के क्रम में अभिकथित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग किये जाने के दृष्टिगत वांछित प्रमाण पत्र (संलग्न) है। (संलग्न – 1)
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः** क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1777 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.7772 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates, अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। ख) राज्य शासन द्वारा रोपण स्थल की KML file, coordinates, नक्शा इत्यादि जानकारी इस कार्यालय को प्रदान की जायेगी।	(क) प्रभाग स्तर पर संशोधित दरों पर तैयार क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना से संबंधित सूचना संलग्न है। **(संलग्न – 2)** (ख) क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित भूमि की KML file, coordinates, को दर्शाते हुए व अन्य मानचित्र संबंधी सूचना संलग्न है। **(संलग्न – 3)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्शों तक का अनुरक्षण हेतु रू **23,65,187.00**/–(तेईस लाख पैसठ हजार एक सौ सत्तासी) मात्र की धनराषि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।

5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.01.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.8886 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	एन.पी.वी. आवश्यक धनराशि रू **5,83,810.00**/– (पाँच लाख तिरासी हजार आठ सौ दस) मात्र CAMPA के कॉपोरेशन बैंक में ई पौर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर जमा किया जा चूका है। **(संलग्न – 4)** प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्शों तक का अनुरक्षण एवं एन.पी.वी. आवश्यक धनराशि कुल धनराशि रू **29,48,997.00**/–(उन्तीस लाख अड़तालीस हजार नौ सौ सत्तानवे) मात्र की धनराषि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न – 5)**
6	प्रयोक्ता अभिकरा प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः प्रेषित है। **(संलग्न – 6)**
7	State Govt. may submit the administrative approval accorded by the authority.	Administrative approval प्रस्ताव के साथ संलग्न है सुलभ संदर्भ हेतु प्रमाण पत्र पुनः प्रेषित है। **(संलग्न – 7)**
8	State Govt. may submit/upload the Site Inspection Report with DFO's comments each para.	प्रभाग द्वारा साइट Inspection Report पूर्व में आनलाईन अतिरिक्त सूचना में अपलोड किया जा चूका है। साइट Inspection Report प्रस्ताव के साथ भी संलग्न है।
9	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work befor stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन औश्र योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा
11	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र (प्रपत्र संख्या 6 से 11 कार्यवृत Annexure – **1 & 2**) प्रस्ताव में संलग्न किया गया है एवं पुनः मूल प्रति की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। **(संलग्न – 8)**
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	उक्त शर्त के क्रम में प्रयौक्ता अभिकरण द्वारा कथित परियोजना हेतु EC लागू होने की दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्र्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017– FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	इस संबंध में प्रदत्त दिशा–निर्देशों का प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयाक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh/nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	बिन्दु वार अनुपालन रिपोर्ट संलग्नकों सहित ईपॉर्टल पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

6/1/21

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : / FP/UK/OTHERS/48097/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप वन संरक्षक मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
2. अपर कार्यक्रम निदेशक, पर्यटन संरचना, विकास, निवेश कार्यक्रम, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन, निकट ओ0एन0जी0सी0, हैलीपैड़, गढीकेन्ट, देहरादून।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।